राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1988 / 2023

कैलाश चन्द मीणा –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, जिला टोंक।
4. बृजेश कुमार सिंह, तहसीलदार, तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2023

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार पीटीएस टोंक में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 02.06.2023 को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी चुनाव कार्य से जुड़ा हुआ नहीं है। अतः उक्त दिशा निर्देश अपीलार्थी पर लागू नहीं होते है। अपीलार्थी ने आगे यह भी तर्क दिया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में केवलमात्र 11 माह का समय शेष है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी ने वर्तमान स्थान पर दिनांक 08.05.2023 को कार्य ग्रहण किया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्पावधि में किया गया है, जो केवलमात्र निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से किया गया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण विधानसभा चुनाव, 2023 को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, जो तहसीलदार शाहपूरा के पद पर किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 437 / 6 / 1 / आईएनएसटी / ईसीआई / एफयूएनसीटी / एमसीसी / 2023 दिनांक 02.06.2023, 22.02.2019 एवं निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023, 2658 दिनांक 04.07.2023 एवं क्रमांक 1050

दिनांक 28.07.2023 के क्रम में राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प. 7(1) राज–1/ 2015 दिनांक 31.07.2023 की पालना में किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर से अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.05.2023 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में अंकित प्रत्येक बिन्दूओं के संबंध में विधान सभा चुनाव से जुड़े ऐसे तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिनका गृह विधान सभा क्षेत्र हो, जिनका गृह जिला हो या जिनकी सेवा अवधि गत 4 वर्षो में से 3 वर्ष से अधिक हो गयी हो एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर निर्वाचन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/1/आईएनएसटी/ईसीआई/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2023 दिनांक 02. 06.2023 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना में राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.7 (1) राज– 1/2015 दिनांक 31.07.2023 के क्रम में राजस्व मण्डल का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश क्रमांक 3444 दिनांक 31.07.2023 जारी किया गया है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति की सेवानिवृत्ति में 11 माह का समय शेष रहने का आधार उठाया गया है। हम पाते हैं कि भारतीय निवार्चन आयोग द्वारा जारी पत्र दिनांक 02.06.2023 का अवलोकन करें तो केवलमात्र उन्हीं व्यक्तियों को स्थानांतरण में छूट दिये जाने के निर्देश है, जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह से कम समय शेष रहा हो। ऐसे में उक्त आधार न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। आलोच्य आदेश विधानसभा आम चुनाव 2023 को देखते हुए राज्यहित व प्रशासनिक कारणों से किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)